

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विस्तृत किए जाने वाले प्रस्तावित अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpaharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइज़र / डेवलपर	सिंगेचर ग्लोबल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं. 04 / 2017 दिनांक 02 फरवरी 2017, भवन योजना की स्वीकृति 08-06-2017. मेमो नं. ZP-1140/S-DBS/2017/12572, रेग रजिस्ट्रेशन सं. 03 / 2017 दिनांकित 20-06-2017
3. स्थान	सेक्टर 37D, गुरुग्राम, हरियाणा।
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	(9.7 एकड़ी) 1448 यूनिटों में कुल 24 अपार्टमेंट आवेदन के लिए उपलब्ध हैं। सामुदायिक सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक सामुदायिक भवन और 2000 वर्गफुट का एक आँगनवाड़ी-साह-क्रेच।
5. अपार्टमेंट के विवरण	

अपार्टमेंट के विवरण				अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)			
T3- 2 BHK	8	519.229	79.653	21,16,742.50	1,05,837.13	4,23,348.50
T1-2 BHK	4	552.360	79.653	22,49,266.50	1,12,463.33	4,49,853.30
T2-2 BHK	6	585.944	79.545	23,83,548.50	1,19,177.43	4,76,709.70
T4-2 BHK	6	596.126	79.653	24,24,330.50	1,21,216.53	4,84,866.10

ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान 6 महीने तक बाबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई व्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना व्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुप्पियोग वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी रिकड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी रिकड/मेट फिनिश सिरामिक टाइल्स. • छिड़ियां/क्लियरी : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाजों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 प्यूट/7 प्यूट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑल बांड डिस्ट्रिम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बॉन्ड डिस्ट्रेपर • सेनिटरी फिल्टिंग : ISI मार्क CP फिल्टिंग, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिल्टिंग : ISI मार्क।
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र दिनांक 17.12.2018 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर सिंगेचर ग्लोबल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पता : ग्राउंड फ्लोर, सिंगेचर टावर्स, साउथ स्टी-1, गुरुग्राम-122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी परे पर जमा कर सकते हैं। ii) अधिक जानकारी के लिए कॉल करें : 7053-121-121 ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 26.12.2018. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।

योग्यता :

- आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो।
- आवेदन कोई भी कर सकता है हालांकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या अक्षित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान प्रधानमंत्री आवास प्रोग्राम के लिए आवास प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कठित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे प्लॉट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या अक्षित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुका की विस्तीर्णी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश लॉन्डिंगड़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंसर्स कॉलोनी में अपना प्लॉट/प्लॉट नहीं हो।
- एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है।
- कोई भी तिथि के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य प्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो प्रसंद का केवल एक प्लैट चुनना होगा।

आवंटन के मानक :

- अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (संकेल कार्यालय), संबद्ध डिलीप और संबद्ध कॉलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे।
- लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएंगे।
- मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpaharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं।)



12 लाख रुपये के आवास ऋण पर PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत लगभग 2.67 लाख रुपये व्याज सबसिडी का लाभ उठाएँ*

Disclaimer - Promoter/Developer urges every applicant to inspect the site where the project is proposed to be constructed and shall not merely rely upon or be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore requested to make personal judgment prior to submitting an application for booking. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only further the actual design may vary in fit and finish from the one displayed above. Project details / specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website [https://haryanarera.gov.in](http://haryanarera.gov.in).

Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges if applicable. T & C Apply. 1 Sq. mt. = 10,763 sq. ft.

7053-121-121